

30/7/24

पत्रावली पेश। प्रकरण में अपील/रिप्लाइड का अधिवक्ता ने बहस हेतु समय चाहा, जो दिया गया। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 28/8/24 को पेश की।

6/8/24

पत्रावली पेश। प्रकरण में अपील/रिप्लाइड का अधिवक्ता ने बहस हेतु समय चाहा, जो दिया गया। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 28/8/24 को पेश की।

28/8/24

पत्रावली पेश। प्रकरण में अपील/रिप्लाइड का अधिवक्ता ने बहस हेतु समय चाहा, जो दिया गया। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक.....को पेश की।

28/8/24

पत्रावली पेश। बकली अपील/रिप्लाइड एवं अपील/रिप्लाइड तब तक बार बार आवाज दिलाई गई न्यायालय समय सांयकाल 6 बजे तक बार बार दिलाई गई। इन्तजार किया गया उसके बावजूद अपील/रिप्लाइड एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे फलस्वरूप अपील अपील/रिप्लाइड अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फंसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरीक तकमील दाखिल टफतार हो।

श्री प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प बुन्दान)

